श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2016 को आयोजित राजस्व एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

1. **<u>भू–लगान</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू–लगान की वसूली सबसे अधिक 19.02% परसा को छोड़कर किसी भी अंचल द्वारा लगान वसुली संतोषजनक नहीं किया गया हैं। अंचल दिघवारा द्वारा सबसे कम 2.75 प्रतिशत कीवसूली की गईहै, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, दिघवारा द्वारा बताया गया कि अधिकांश मौजा की भूमि असर्वेक्षित होने के कारण वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। अंचल अधिकारी, सोनपुर द्वारा भी 3.81 % की वसूली पर पृच्छा की गयी, जिस पर अंचल अधिकारी, सोनपुर द्वारा बताया गया कि मेरा लक्ष्य अधिक है, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिसपर अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि 25.30 लाख होना चाहिए। समाहर्त्ता द्वारा तीस लाख का लक्ष्य के आधार पर शतिप्रतिशत लगान वसूली का निदेश अंचल अधिकारी, सोनपुर को दिया गया।

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2015–16 में कम से कम 50% भू–लगान की वसूली करने तथा जिन कर्मचारी द्वारा 20% से कम वसूली की गयी है, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन राजस्व कार्यालय में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

2. **सैरात** :–समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल 218 सैरातों में से 155 सैरातों की बंदोबस्ती हुई है, जिसमें सबसे अधिक मांझी में 12, बनियापुर में 11, मशरक में 7 एवं सोनपुर में 7 लंबित है। लंबित सैरातों के संबंध में पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ सैरातों का सुरक्षित जमा राशि अधिक होने के कारण बंदोबस्ती नही हो पायी है, जिसकी विभागीय वसूली हो रही है। समाहर्त्ता द्वारा लंबित सैरातों के बंदोबस्ती करने तथा जिन सैरातों की विभागीय वसूली हो रही है उक्त सैरातों की वसूली सुरक्षित जमा के अनुसार शतप्रतिशत करने हेतु अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया।।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

3. **अतिक्रमण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 49 वाद लम्बित है, जिसमें सबसे अधिक गरखा में 25, अमनौर– 5, रिविलगंज, मांझी, एकमा, लहलादपुर, दिघवारा में 2–2 वाद लंबित पाये गये हैं। समाहर्त्ता द्वारा इन अंचल अधिकारियों से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया किलंबित सभी वादों में नोटिस दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा इस माह के अंत तक सभी लंबित वादों को निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

4. **चालू खतियान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 1805 मौजा में मात्र 828 ग्प्रमों का कार्य पूर्ण हुआ है और 210 ग्रामों में कार्य चल रहा हैं। इस प्रकार कुल 1038 ग्रामों का ही चालू खतियान का कार्य हुआ है। इस कार्यों की प्रगति पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी से कार्य अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को नियमित अंचल के कार्यो का समीक्षा करते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी वरीय पदाधिकारी, सारण जिला।

5. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय में कुल 122 दायर वाद के विरूद्ध 86 वाद निष्पादित किये गये है, जिसके अनुसार निष्पादन का 70.49 प्रतिशत है। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर का 36 लंबित मामले पाये गये। पृच्छा के कम में उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर द्वारा बताया गया कि संबंधित वाद समय सीमा के अंदर का है, जिसे शीघ्र सम्पादित कर दिया जायेगा। समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित समय में निष्पादन करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सोनपुर को दिया गया।

अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

6. **दाखिल खारिज** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह– जनवरी 2016 तक कुल 27534 प्राप्त वाद के विरूद्ध मात्र 26834 वादो का निष्पादन किया गया है। लंबित मामले 700 है, जिसमें सबसे अधिक 149 मामले सोनपुर, 68 बनियापुर, रिविलगंज में 57 एवं मशरक में 68 लंबित पाया गया, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा अधिक लंबित रहने के कारण पृच्छा की गई। पृच्छा के कम में संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त सभी मामले समय सीमा के अंदर का है।समाहर्त्ता द्वारा लंबित मामले को ससमय निष्पादन करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

7. **जनशिकायत और अन्य लोगों से प्राप्त** :– जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, आयुक्त एव जिला पदाधिकारी से प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में सदर अंचल में 36, एकमा में 18, गरखा में 10, सोनपुर में 35 एवं दरियापुर में 41 मामले लंबित पाये गये।सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताएवं सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर जनता दरबार के सभी प्रकार के मामले को फरवरी माह के अंत तक निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सारण जिला।

8. **भू–हस्तांतरण** :–विभिन्न प्रयोजनों हेतु अन्तर्विभागीय भू–हस्तांतरण से संबंधित समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी केन्द्र, नवसृजित प्रा0वि0, महादलित टोलों में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड की निर्माण हेतु लक्ष्य के अनुरूप भू–हस्तांतरण हेतु भूमि का चयन नही हुआ है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रयोजनाओं हेतु चिन्हित भूमि का प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब भेजा जाय ताकि विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यस्तरीय संबंधित विभाग से अधियाचना प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई किया जा सकें।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

9. **महादलित** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 616 वासहीनमहादलित परिवारपाये गये थे। जिसमेंवास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

10. **अभियान बसेरा** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के तहत अंचलवार निम्नांकित श्रेणी के परिवार वासहीन पाये गये हैं। जिसको वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित की गई हैं :–

क्र0	अंचल का नाम	श्रेणीवार सर्वेक्षण						उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि का श्रोत				वास हेतु भूमि उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं0				कुल भूमि उपलब्ध कराये गये वासहीन परिवारो की सं0	लंबित परिवारों की सं0	अभि0
		महादलित	SC	ST	BC-I	BC-II	कुल सर्वेक्षित वासहीन परिवारों की सं0	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	BPPHT	क्रय	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	BPPHT	क्रय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सदर,छपरा	84					84	14	0	70	0	14				14	70	
2	रिविलगंज	24			16		40	0	0	40	0			40		40	0	
3	मॉझी	16					16	16	0	0	0	10				10	6	
4	एकमा	8					8	8	0	0	0	8				8	0	
5	जलालपुर	5					5	5	0	0	0	5				5	0	
6	नगरा		3				3	0	0	3	0			3		3	0	
7	बनियापुर	21	6		8	4	39	14	0	25	0	11		9		20	19	
8	लहलादपुर	8		6	2		16	4	4	8	0	2		8		10	6	
9	गड़खा		11			7	18	18	0	0	0	18				18	0	
10	परसा	5	3		10		18	9	9	0	0	9				9	9	
11	मकेर	10			2		12	3	0	9	0	0		9		9	3	
12	मढ़ौरा	65					65	0	0	0	65					0	65	
13	अमनौर	14	2		4		20	3	0	17	0			17		17	3	
14	तरैया	27			4		31	6	0	25	0			25		25	6	
15	इसुआपुर	7					7	7	0	0	0	7				7	0	
16	मशरक	40			9		49	6	0	36	7			36		36	13	
17	पानापुर	6	3		1		10	6	0	4	0	4		4		8	2	
18	दिघवारा				12	4	16	0	16	0	0		16			16	0	
19	दरियापुर	47			5		52	28	7	17	0			17		17	35	
20	सोनपुर	23	2		13		38	19	0	19	0			19		19	19	
योग –		410	30	6	86	15	547	166	36	273	72	88	16	187	0	291	256	

समाहर्त्ता द्वारा सभी वासहीन परिवार को प्राथमिकता के आधार पर मार्च 2016 के अंत तक भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही पूर्व में वासहीन परिवारों को उपलब्ध कराये गये भूमि का दखल कब्जा का सत्यापन करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

11. **ऑपरेशन भूमि दखल दहानी** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 12826 परिवारों से संबंधित प्रपत्र–। में अपलोड किया गया है, जिसमें 455 बेदखल परिवार पाये गये है। बेदखल परिवारो में से 441 परिवारो को दखल दिलाया गया है। शेष लंबित 14 बेदखल परिवारों को दखल माह मार्च तक कराने हेतु संबंधित सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया। साथ ही नियमित समीक्षा करने हेतु सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि मार्च के अंत में एक सर्टिफिकेट देना होगा की मेरे अंचल में एक भी बेदखली का मामला लंबित नही है। सर्टिफिकेट के उपरांत अगर एक भी मामला पाये जाते तो उसकी सारी जबाब देही संबंधित अंचल अधिकारी की होगी।

अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

12. **शहरी लोक भूमि अतिक्रमण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 86 मौजा में से मात्र 18 मौजा का ही सर्वेक्षण हो पाया हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढौरा, सोनपुर एवं दिघवारा को निदेश दिया गया।

अनुपालन–अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढौरा, सोनपुर एवं दिघवारा।

13. **भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एल0पी0सी0 निर्गत करने हेतु कुल 7997 आवेदन के विरूद्ध मात्र 7926 मामले को निष्पादित किया गया है। शेष अभी भी 71 मामले लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक मशरक में 15, अमनौर में 14 एवं मांझी में 12 लंबित है। समाहर्त्ता द्वारा पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी लंबित मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को लंबित मामले को अविलम्ब निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिलाएवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

बैठक के अंत में समाहर्त्ता द्वारा यह भी बताया गया कि समाचार पत्रों में अगर किसी प्रकार की शिकायत का सूचना प्राप्त होती है, तो उस विन्दु पर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा ससमय निष्पादित किया जाय। साथ ही सभी पदाधिकारी को अपने–अपने कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही कैश बुक का समीक्षा करते रहने का भी निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में भ्रमण करने एवं कार्यो की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को नन–बैंकिंग को पहचान करने का निदेश दिया जो भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बद्ध नही है।

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 197 / दिनांक 20/2/16

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।